भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 778
गुरुवार, 4 दिसंबर, 2025/13 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

हरित विमानपत्तनों की स्थापना

778. श्री सुरेश कुमार शेटकर:
श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार मानती है कि तेलंगाना और तमिलनाडु के कई क्षेत्र, विशेषकर कन्याकुमारी जिले और अन्य दक्षिणी राज्यों में नागरिकों, उद्योगों, निर्यातकों और पर्यटन निकायों की लंबे समय से की जा रही मांगों के बावजूद कार्यशील विमानपत्तनों का अभाव बना हुआ है और यदि हाँ, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या तेलंगाना और तमिलनाडु में, विशेषकर कन्याकुमारी जिले और अन्य चिह्नित दक्षिणी जिलों में नए हरित विमानपत्तनों की स्थापना के लिए व्यवहार्यता अध्ययन पूरे हो चुके हैं, लंबित हैं या छोड़ दिए गए हैं और यदि हाँ, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार को पता है कि रणनीतिक दक्षिणी क्षेत्रों में विमानपत्तनों की अनुपस्थिति पर्यटन विकास, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तीर्थयात्रा संपर्क, औद्योगिक संभार तंत्र और आपातकालीन चिकित्सा परिवहन में बाधा डालती है;
(घ) यदि हाँ, तो उक्त सुधारात्मक कदमों की योजना के साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ङ) क्या कन्याकुमारी विमानपत्तन के लिए भूमि पहचान और अधिग्रहण प्रस्तावों पर तमिलनाडु राज्य सरकार के साथ चर्चा की गई है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क): भारत सरकार ने देश में नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के विकास के लिए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा (जीएफए) नीति, 2008 तैयार की है। इस नीति के अनुसार, यदि राज्य सरकार सहित कोई भी हवाईअड्डा विकासकर्ता हवाईअड्डा विकसित करना चाहता है, तो उन्हें एक उपयुक्त स्थल की पहचान करने एवं पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन करवाने की आवश्यकता होती है और 'साइट क्लीयरेंस' के लिए केंद्र सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है, जिसके पश्चात 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्राप्त करना होता है।

तमिलनाडु राज्य के संबंध में, परंदुर में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के विकास के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है और होसुर में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के विकास के लिए साइट क्लीयरेंस हेतु आवेदन नवंबर, 2025 में प्राप्त हुआ है। वर्तमान में यह आवेदन इस मंत्रालय में विचाराधीन है।

जबकि तेलंगाना राज्य के संबंध में जीएफए नीति के तहत न तो राज्य सरकार और न ही किसी अन्य हवाईअड्डा विकासकर्ता से 'साइट क्लीयरेंस' हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख): तेलंगाना सरकार ने अंथेरगांव, कोठागुडेम, महबूबनगर और जक्रनपल्ली में चार नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के लिए पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन का प्रस्ताव दिया है। एंथरगांव को छोड़कर तीन स्थानों के लिए पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन पूर्ण कर लिया गया है। इन अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकला कि कोठागुडेम और महबूबनगर की साइटें व्यवहार्य नहीं हैं, जबकि जक्रनपल्ली की साइट तकनीकी रूप से व्यवहार्य है, जो मानव निर्मित बाधाओं को दूर करने और रक्षा मंत्रालय/भारतीय वायुसेना से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त करने के अध्यधीन है।

तमिलनाडु के संबंध में, अप्रैल 2025 में, तमिलनाडु की राज्य सरकार के अनुरोध पर, एएआई और टीआईडीसीओ अधिकारियों की एक बहु-विषयक टीम ने नवंबर 2025 में पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए रामनाथपुरम जिले में दो प्रस्तावित स्थानों का दौरा किया।

(ग) और (घ): इस प्रकार के प्रभाव का आंकलन करने के लिए कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है।

(ङ) और (च): जी नहीं।

*****